उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 12 16–30 जून 2025 ₹ 20/–

संविधान की प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों पर छिड़ी बहस

- महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद
- पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 16 सैनिक मारे गए
- इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम
- अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संविधान की प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों पर छिड़ी बहस 04
महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद 07
देश में तेजी से फैल रहा मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों का मकड़जाल 10
पटना में वक्फ कानून का विरोध 12
कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण 14

विश्व

पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 16 सैनिक मारे गए 15
पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगानों का निष्कासन 16
बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त गिरफ्तार 17
तुर्की इंडोनेशिया को लड़ाकू विमान निर्यात करेगा 18
अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध 19

पश्चिम एशिया

इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम 20
ईरान में जासूसों की तलाश में राष्ट्रव्यापी अभियान 23
ईरान द्वारा विश्व के मुस्लिम देशों से इस्लामिक सेना बनाने की अपील 25
इजरायल और कतर के बीच 100 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता 27
नाइजीरिया में आतंकवादियों द्वारा 100 लोगों की हत्या 27
सीरिया के गिरजाघर में हुए धमाके में 19 लोगों की मौत 28

सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने नई दिल्ली में 'इमरजेंसी के 50 साल' पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान को ताक पर रखकर मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। उस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, विपक्ष को जेलों में डाल दिया गया और न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया। होसबाले ने कहा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द नहीं थे। कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था। उन्होंने कहा कि इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहने देना चाहिए या नहीं इस पर बहस होनी चाहिए। वहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों 'सेक्युलर' और सोशलिस्ट' को नासूर करार दिया है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस ने इन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है ताकि इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदला जा सके।

बड़ी अजीब बात है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा लगातार प्रचार किया जाता रहा है कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में अन्य वर्गों से पीछे है। इस संबंध में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने यह दावा किया था कि देश के मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अन्य वर्गों से पीछे हैं। हाल ही में उर्दू अखबार 'इंकलाब' में नजमुद्दीन अहमद फारूकी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में उन्होंने कांग्रेस और सच्चर कमेटी के इस दावे की पोल खोल दी है। फारूकी ने संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए इस समय देश में 48 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। इनमें से 31 संस्थानों की स्थापना खुद भारतीय मुसलमानों ने की है। जबकि 17 संस्थानों की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। ये संस्थान विश्वविद्यालय स्तर के हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन आंकड़ों से साफ है कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समुदाय की तुलना में पिछड़े नहीं हैं।

पाकिस्तान और ईरान से अफगान मूल के नागरिकों का निष्कासन जारी है। अफगानिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि विदेशों में रहने वाले 50 लाख से अधिक अफगान स्वदेश लौट चुके हैं। ईरान सरकार ने देश में रहने वाले 40 लाख अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजने की घोषणा की है। ईरान सरकार ने जून महीने में ढ़ाई लाख से अधिक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान की सीमा में धकेल दिया है। पाकिस्तान भी इस अवधि में पांच लाख अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान में धकेल चुका है। पाकिस्तान और ईरान का दावा है कि ये अफगान नागरिक घुसपैठिये हैं। जबकि अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि जिन लोगों को अफगानिस्तान में धकेला जा रहा है वे ईरान व पाकिस्तान के विधिवत नागरिक हैं और वे वहीं पैदा हुए थे।

12 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल और ईरान के बीच अचानक युद्धविराम की घोषणा कर दी है। ईरान सरकार इसे अपनी जीत बता रही है और देशभर में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि, इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके दर्जनों शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक इजरायली हमले में मारे गए हैं। दूसरी ओर, यह भी साफ हो गया है कि इस्लामिक देशों की एकता सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि ईरान एक शिया देश है। जबकि अधिकतर मुस्लिम देश सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके बावजूद ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसेन रेजाई ने अपील की है कि अमेरिका और इजरायल का मुकाबला करने के लिए विश्व के सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर एक इस्लामिक सेना का गठन करना चाहिए।

संविधान की प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों पर छिड़ी बहस

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि आपातकाल के दौरान 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहने देना चाहिए या नहीं इस पर विचार किया जाना चाहिए। होसबाले के इस सुझाव के बाद देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 जून) के अनुसार दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संघ और सरकार को अपना निशाना बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है और वे लंबे समय से डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था, संसद काम नहीं कर रही थी और न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था तब ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में रहने चाहिए या नहीं इस पर विचार किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान पर आपत्ति जताई है और इसे संविधान की आत्मा पर हमला करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब 1950 में संविधान लागू किया गया था तो आरएसएस ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि उसने इसकी प्रतियां भी जलाईं थीं। आज भी उनकी वही मानसिकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि संविधान

को बदलने के लिए हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए। अब वे एक बार फिर से अपनी पुरानी योजना पर काम कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (28 जून) के अनुसार दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लागू किया था वे आज संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस को देश में आपातकाल लागू करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।

इंकलाब (28 जून) के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान उन्हें इसलिए चुभता है, क्योंकि उसमें समता, सेक्युलरिज्म और न्याय की बात की गई है। आरएसएस और भाजपा को संविधान नहीं, बल्कि मनुस्मृति चाहिए।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की खतरनाक साजिश हो रही है और हम इसका डटकर विरोध करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी होसबाले के बयान का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को संविधान से हटाने के एजेंडे पर चुनाव करवाकर देख ले। उसे उसकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा।

रोजनामा सहारा (30 जून) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि संघ इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है, इसलिए वह संविधान की प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' को हटाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय आरएसएस के इस साजिश का विरोध करेगा।

उर्दू टाइम्स (29 जून) के अनुसार अब इस विवाद को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं। यह सनातन की आत्मा का अपमान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा होती है। भारत को छोड़कर विश्व के किसी भी देश ने संविधान की प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं किया। प्रस्तावना ही वह बुनियाद है जिस पर पूरा संविधान टिका होता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में संशोधन करके 'सेक्युलर', 'सोशलिस्ट' और 'इंटीग्रिटी' जैसे शब्द जोड़े गए थे। धनखड़ ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर था। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान की रचना काफी सोच-समझकर की थी, इसलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को नहीं रखा था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 जून) के अनुसार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संघ की आलोचना करते हुए कहा है कि संघ ने कभी भी भारतीय संविधान को नहीं माना। उसने 30 नवंबर 1949 से ही डॉ. अंबेडकर, पंडित नेहरू और अन्य संविधान निर्माताओं पर हमले शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भारतीय संविधान को इसलिए मान्यता नहीं दी, क्योंकि यह मनुस्मृति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा के लोग लंबे समय से नए संविधान की मांग करते आ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए संविधान का संकेत दिया था, लेकिन देश की जनता ने इसे ठुकरा दिया।

जयराम रमेश ने एक महत्त्वपूर्ण अदालती फैसले का भी उल्लेख किया है। बलराम सिंह और अन्य लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' पर आपत्ति की थी। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 25 नवंबर 2024 को अपने फैसले में कहा था कि 1976 में संविधान में संशोधन करके 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये शब्द संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुसार हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय पृष्ठभूमि में 'सोशलिस्ट' का अर्थ जन कल्याण और सामाजिक व आर्थिक न्याय की गारंटी है, न कि निजी व्यापार या नीति पर किसी भी तरह की रोक। इसी तरह से 'सेक्युलर' होने का अर्थ धर्म से निष्पक्षता है, न कि धर्म से दुश्मनी। जयराम रमेश ने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ इस मांग को खारिज कर चुकी है तो आरएसएस द्वारा इस बहस को फिर से जीवित करने का क्या मतलब है? उन्हें इस पर बयान देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ना चाहिए था।

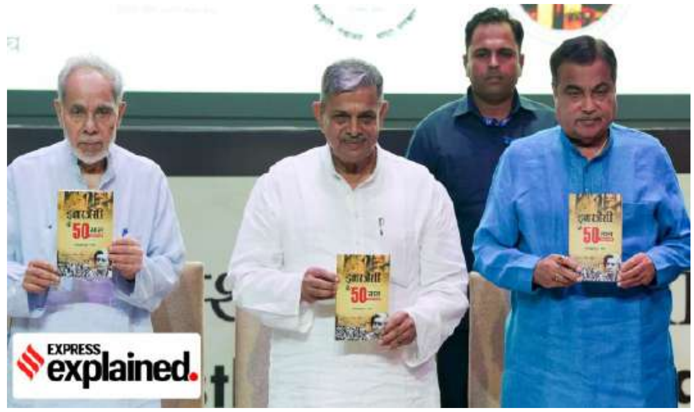

औरंगाबाद टाइम्स (28 जून) के अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने भारतीय संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। वे डॉ. अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और यह उनके एजेंडे में शामिल है। आरएसएस के सरकार्यवाह के हालिया बयान ने इस एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। आरएसएस का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।

उर्दू टाइम्स (1 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार भारत के बहुधार्मिक स्वरूप और संवैधानिक सेक्युलरिज्म को तबाह करने पर तुली हुई है। वह अपनी इन नीतियों पर चलकर अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को राष्ट्र के मुख्यधारा से अलग कर रही है। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर पड़ोसी देशों के हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की है। जबकि मुसलमानों को जानबूझकर इससे वंचित कर दिया गया है। अब सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करके भारत में रहने वाले लाखों मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें देश से बेघर करने के अभियान में लगी हुई है। अब भाजपा और उससे संबंधित संगठन 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से निकालने की मांग कर रहे हैं। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हर देशवासी को इसका विरोध करना चाहिए।

रोजनामा सहारा (30 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुलकर होसबाले के समर्थन में आ गए हैं। राहुल गांधी का यह कहना सही है

कि आरएसएस मनुस्मृति को लागू करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग इस तानाशाही रवैये का विरोध करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब संविधान एक रस्मी किताब बनकर रह जाएगा। यह हिंदुस्तान की आत्मा का युद्ध है और इस नाजुक अवसर पर चुप रहना राष्ट्रीय हितों से गद्दारी है।

हिंदुस्तान (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने सत्ताकाल में जानबूझकर आरएसएस को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस उसी गलती का नतीजा अब भुगत रही है। अगर कांग्रेस यह गलती नहीं करती तो आज देश के राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग होते। 2014 में केंद्र और राज्यों में भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को अब यह समझ में आ रहा है कि उसने आरएसएस के इरादों को सही तरीके से नहीं पहचाना। इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे पहले संघ परिवार ने ही कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया था। उसने भ्रष्टाचार के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर देश की जनता को गुमराह किया। संघ और भाजपा की ओछी राजनीति पर किसी ने यह सवाल नहीं किया कि अगर कांग्रेसी नेता इतने बेईमान थे तो वे भाजपा का दामन थामते ही पाक-साफ कैसे हो गए?

समाचारपत्र ने कहा है कि आपातकाल के लिए कांग्रेस को बदनाम करने वाली भाजपा और संघ परिवार ने देश के सभी संवैधानिक संस्थानों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। अब कांग्रेस को यह समझ में आने लगा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें आरएसएस की कठपुतली हैं, इसलिए अब उसने आरएसएस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। यह बहादुरी राहुल गांधी ने दिखाई है। यह कतई स्वीकार्य नहीं है कि संघ परिवार देश की सेक्युलर पहचान को खत्म करे और इसे हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करे। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके देश की एकता और धार्मिक बहुलता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब संघ और भाजपा के नेताओं ने संविधान की प्रस्तावना से 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' शब्दों को खारिज करने की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है कि अगर वह सत्ता में आई तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देगी। कांग्रेस की इस घोषणा का समर्थन करना हर देशभक्त के लिए जरूरी है।

महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार मुसलमानों ने मुंबई की मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटाए जाने के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 9 जुलाई तक लिखित जवाब मांगा है। मुंबई की अनेक मस्जिदों और दरगाहों की प्रबंध समितियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह आरोप लगाया था कि पुलिस जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रही है।

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार मुंबई पुलिस ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मुंबई

कहा है कि इन लोगों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के फैसले का उल्लंघन किया है। पुलिस ने इन्हें बताया था कि वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त कर लें, लेकिन इन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया।

और उसके उपनगरों में स्थित डेढ़ हजार उपासना स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने कहा कि यह कार्रवाई किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पुलिस ने सभी धर्मों के उपासना स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों द्वारा इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि उपासना स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला उच्च न्यायालय के आदेश और विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि उपासना स्थलों में दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता किरीट सोमैया पिछले कुछ समय से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान चला रहे हैं। उनके इस अभियान के कारण पुलिस ने मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की है।

रोजनामा सहारा (18 जून) के अनुसार मुंबई की चूनाभट्टी पुलिस ने कुरैशी नगर के नामदार चॉल में स्थित अंजुमन शाह आलम मदरसा हबीबिया अंजुल इस्लाम के दो प्रबंधकों के खिलाफ बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और स्थानीय इलाके में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान सलीम अजीज शाह और तौफीक जैनुद्दीन शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने

एतेमाद (10 जून) के अनुसार विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले के खिलाफ एक बैठक की। इस बैठक का आयोजन पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, महाराष्ट्र जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी और जमीयत अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुस सलाम सलाफी ने की थी। इस बैठक में मुंबई की विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों के एक हजार से अधिक प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मस्जिदों और दरगाहों से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले को अदालत में चुनौती देने का निर्णय किया गया। आरिफ नसीम खान ने कहा कि पुलिस का यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अदालतों ने निर्देश दिया था कि मस्जिदों और दरगाहों में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकरों की आवाज की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए। मौलाना अब्दुस सलाम सलाफी ने कहा कि सरकार सांप्रदायिक नफरत के कारण मुसलमानों को निशाना बना रही है। हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने दीन और ईमान की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

एतेमाद (16 जून) ने दावा किया है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में स्थित मस्जिदों व दरगाहों के प्रबंधकों ने लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम करने के लिए मशीनें लगा दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार

आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया मुसलमानों को परेशान करने के लिए अभियान चला रहे हैं। मीरा रोड स्थित जामा मस्जिद अल-शम्स के प्रबंधक ने बताया कि उन्होंने ध्वनि को सीमित करने के लिए मशीन लगाई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया है। यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

गौरतलब कि 23 जनवरी 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना किसी भी धर्म के लिए जरूरी नहीं है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को यह हिदायत दी थी कि धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एससी चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि शोर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए किसी को भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह धार्मिक संस्थाओं को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तंत्र अपनाने का निर्देश दे।

उर्दू टाइम्स (27 जून) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि पुलिस ने मुंबई और महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की टीम मस्जिदों में घुसकर जबरन लाउडस्पीकर उतार रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने पुलिस को एक विशेष वर्ग के लोगों को परेशान करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम नेताओं की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अदालत जो कह रही है वह करो। समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि मुसलमानों को अपने इतिहास को समझ लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कलमा पढ़ लेता है तो उसे सरकार की ज्यादतियों के बावजूद अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इस समय किस पार्टी की सरकार है और इस्लाम के प्रति उसका क्या रवैया है। इसे देखते हुए मुसलमानों को लाउडस्पीकर के बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए।

मुंसिफ (18 जून) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मुसलमानों के प्रति उसका रवैया दिन-प्रतिदिन कड़ा होता जा रहा है और वह हर छोटी बात को सांप्रदायिक रंग दे रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। किरीट सोमैया जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इससे ऐसा लगता है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है, वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देवेन्द्र फडणवीस की सरकार सेक्युलर होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में उसका रूख पूरी तरह से सांप्रदायिक है। अब लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की आड़ में पूरे

महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। सरकार की यह मानसिकता देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है।

हिंदुस्तान (27 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश की हजारों मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर मुस्लिम दुश्मन तत्वों के निशाने पर हैं। समाचारपत्र ने पूछा है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को मस्जिदों में पांच वक्त की नमाज के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति क्यों है? क्या यह अभियान इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है? यह मामला बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। मुंबई पुलिस जिस तरह से कानून और संविधान को ताक पर रखकर मस्जिदों को अपना निशाना बना रही है उससे मुसलमानों में बेचैनी बढ़ रही है। मुंबई पुलिस कट्टर सांप्रदायिक

और मुस्लिम विरोधी तत्वों जैसे राज ठाकरे और किरीट सोमैया के इशारे पर नाच रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुंबई पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान परेशान हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि फडणवीस सरकार मुसलमानों को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बना रही है।

देश में तेजी से फैल रहा मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों का मकड़जाल

इंकलाब (1 जुलाई) में नजमुद्दीन अहमद फारूकी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में देशभर में तेजी से फैल रहे इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों का सनसनीखेज विवरण पेश किया गया है। इस लेख के अनुसार देशभर में विश्वविद्यालय स्तर के 48 मुस्लिम शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें से 17 संस्थानों की स्थापना सरकार ने की है। जबकि 31 संस्थानों की स्थापना खुद मुसलमानों ने की है। लेखक ने कहा है कि यह आम धारणा है कि आजादी के बाद मुसलमानों ने

आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में उदासीनता दिखाई है या उनकी शैक्षिक प्रगति अन्य धर्मों की तुलना में कम रही है। हालांकि, स्थिति इसके विपरीत है। लेखक ने दावा किया है कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने निष्पक्ष रूप से शोध किया है और उनके आंकड़े विश्वसनीय हैं।

लेखक के अनुसार देश में मुसलमानों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्तर के निजी शिक्षण संस्थान निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का स्थान	स्थापना वर्ष
1.	अल-फलाह यूनिवर्सिटी	फरीदाबाद, हरियाणा	2014
2.	आलिया यूनिवर्सिटी	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	2008
3.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	1920
4.	अल-करीम यूनिवर्सिटी	कटिहार, बिहार	2018
5.	अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी	बेंगलुरु, कर्नाटक	2010
6.	बीएस अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी	चेन्नई, तमिलनाडु	2008
7.	दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी	मलप्पुरम, केरल	2009
8.	डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी	कर्नूल, आंध्रप्रदेश	2016
9.	एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2016
10.	ग्लोकल यूनिवर्सिटी	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	2012
11.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2004
12.	इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी	किशनगंज, बिहार	2024
13.	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी	अवंतीपोरा, जम्मू-कश्मीर	2005
14.	जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी	नई दिल्ली	1989
15.	जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम	नंदुरबार, महाराष्ट्र	2013
16.	जामिया मरकज	कोझिकोड, केरल	1978
17.	जामिया मिल्लिया इस्लामिया	नई दिल्ली	1988
18.	जामिया अल-हिंद अल-इस्लामिया	कोझिकोड, केरल	2013
19.	ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी	कलबुर्गी, कर्नाटक	2018
20.	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2016
21.	मदीन अकादमी	मलप्पुरम, केरल	1997
22.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी	हैदराबाद, तेलंगाना	1998
23.	मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी	जोधपुर, राजस्थान	2013
24.	मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी यूनिवर्सिटी	पटना, बिहार	1998
25.	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी	रामपुर, उत्तर प्रदेश	2006
26.	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन	कुमारकोविल, तमिलनाडु	2008

27.	उस्मानिया यूनिवर्सिटी	हैदराबाद, तेलंगाना	1918
28.	डॉ. पीए इनामदार यूनिवर्सिटी	पुणे, महाराष्ट्र	2022
29.	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी	बेंगलुरु, कर्नाटक	2013
30.	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी	री भोई, मेघालय	2011
31.	येनेपोया यूनिवर्सिटी	मंगलुरु, कर्नाटक	2008

इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण सुन्नी दीनी संस्थानों में दारुल उलूम देवबंद (उत्तर प्रदेश), मजाहिर उलूम (सहारनपुर, उत्तर प्रदेश), दारुल उलूम वक्फ (देवबंद, उत्तर प्रदेश), दारुल उलूम नदवतुल उलमा (लखनऊ, उत्तर प्रदेश), जामिया कासमिया मदरसा शाही (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश), मदरसा अमीनिया (दिल्ली), दारुल उलूम बांसकांडी (असम), अल जमीयतुल अशरफिया (मुबारकपुर, उत्तर प्रदेश), मंजर-ए-इस्लाम (बरेली, उत्तर प्रदेश), जामिया नईमिया (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश), जामिया अमजदिया रजविया (घोसी, उत्तर प्रदेश), जामिया निजामिया (हैदराबाद, तेलंगाना), मदरसतुल इस्लाह (आजमगढ़, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

इसी तरह से महत्त्वपूर्ण शिया दीनी संस्थानों में जामिया नाजमिया (लखनऊ, उत्तर प्रदेश), सुल्तान मदरसा (लखनऊ, उत्तर प्रदेश), तंजीम-उल-मकातिब (लखनऊ, उत्तर प्रदेश), जवादिया अरबी कॉलेज (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) मदरसा बाकिर उल उलूम (बेंगलुरु, कर्नाटक) बोहरा मदरसा (गुजरात) और अल जामिया-तुस-सैफिया (सूरत, गुजरात) शामिल हैं।

इस लेख में यह भी दावा किया गया है कि संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार देशभर में बौद्धों के 24, ईसाइयों के 765, जैनियों के 446, मुसलमानों के 1239 और सिखों के 113 अल्पसंख्यक दर्जे के शिक्षण संस्थान हैं।

लेख के अनुसार उत्तर प्रदेश में 24 हजार से अधिक मदरसे हैं। इन मदरसों में दीनी शिक्षा के अतिरिक्त गणित, विज्ञान और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। ज्यादातर मदरसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें लगभग 20 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। इनमें 99 प्रतिशत मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमानों द्वारा स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों में हर साल हजारों सीटें खाली रह जाती हैं।

पटना में वक्फ कानून का विरोध

इंकलाब (30 जून) के अनुसार मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया की ओर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ' रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में तमाम मुस्लिम संगठनों के अतिरिक्त बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य, सांसद पप्पू यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अखतरुल ईमान आदि ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया वक्फ कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। सरकार ने यह कानून बनाकर मुसलमानों को संविधान में दी गई गारंटी की धज्जियां उड़ाई है। इस रैली में मांग की गई कि सरकार इस कानून को फौरन वापस ले।

रैली को संबोधित करते हुए इमारत-ए-शरिया के अमीर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। उन्होंने कहा कि इस रैली में जमा लाखों की भीड़ इस बात का सबूत है कि

इस देश का मुसलमान केंद्र सरकार और उसके द्वारा बनाए गए काले कानून के खिलाफ है। इस अवसर पर इमारत-ए-शरिया के सचिव मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान कासमी ने लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन देश भर में किया जाएगा। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक देश के मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा सभी नागरिकों के अधिकार छीन लेना चाहती है और वह इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो हम बिहार में इस काले कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और वक्फ संपत्ति की रक्षा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। संसद में संख्या के बल पर इस कानून को पास करवा लिया गया है, लेकिन अदालत इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। हमें आशा है कि अदालत से हमें जरूर न्याय मिलेगा। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम हर कीमत पर वक्फ और संविधान को बचाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि देश की जनता एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को चुनाव में पराजित करे। भाजपा सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलकर मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। हम उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश की जनता को नए वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आपसी मतभेद भुलाकर सभी मुस्लिम संगठन इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं शुरू से ही इस कानून के खिलाफ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी स्वास्थ्य की खराबी के कारण पटना की रैली में भाग नहीं ले सके। दिल्ली में जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि वक्फ का संरक्षण मुसलमानों के वजूद से जुड़ा हुआ है। हम अपने धार्मिक मामलों में किसी भी सरकार को हस्तक्षेप

नहीं करने देंगे। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत और इस्लाम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों की है और वक्फ की बुनियाद शरीयत है। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून हमारे धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है।

कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण

कौमी भारत (20 जून) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य की आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के कोटे में वृद्धि कर दी है। यह फैसला कर्नाटक मंत्रिमंडल की एक बैठक में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि अब तक राज्य की आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि राज्य के अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक मकान उपलब्ध कराया जा सके। पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार की यह नीति है कि अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए। आवास एक बुनियादी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का कई तरह के आवास योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इनमें बसव वसति योजना, आश्रय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (21 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्य के सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया था और अब आवास योजनाओं में मुसलमानों के लिए 15 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है।

समाचारपत्र का कहना है कि हाल ही में दक्षिण भारत के कई राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों को सरकारी योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि वे समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पीछे न रहें। दुख की बात यह है कि जब कोई राज्य सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए कोई फैसला करती है तो भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत उसका विरोध करना शुरू कर देती है।

पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 16 सैनिक मारे गए

इंकलाब (29 जून) के अनुसार पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक आत्मघाती हमले में 16 सैनिक मारे गए। इस हमले में अनेक नागरिक भी मारे गए हैं। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से इंकार कर दिया। इस सैन्य अधिकारी ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरा एक वाहन पाकिस्तानी सेना के एक काफिले से टकरा दिया। इस हमले में चार सैन्य उच्चाधिकारी समेत 16 सैनिक मारे गए। यह धमाका इतना जोरदार था कि दो घरों की छतें गिर गई। इसके नीचे दबकर कई आम नागरिक भी मारे गए। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी मलबे से शव निकाले जा रहे हैं।

इस हमले की जिम्मेवारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली है। इस ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका यह अभियान जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना निर्दोष पख्तूनों को अपना निशाना बना रही है। इस ग्रुप ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वात जिले में एक दर्जन मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मरने वालों में कई बच्चे भी थे। हमने इस हमले का बदला ले लिया है। मीर अली थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सैनिकों का एक काफिला जा रहा था तो इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को अपना निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सेना ने इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। उन्होंने दावा किया कि सेना और आतंकवादियों में हुई मुठभेड़ में कम-से-कम 20 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के पास से विदेशों में बने हथियार भी बरामद हुए हैं।

बीबीसी (2 जुलाई) के अनुसार सशस्त्र हमलावरों के एक गिरोह ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक सरकारी कार्यालय पर हमला किया। इस हमले में सहायक आयुक्त फैसल इस्माइल और तहसीलदार अब्दुल वकील समेत

पांच उच्चाधिकारी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रवक्ता इहतिशाम अली ने बताया कि हमलावरों की संख्या 40 से अधिक थी। वे सबसे पहले सहायक आयुक्त के कार्यालय में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में पांच पुलिस अधिकारी मारे गए और कुछ घायल हो गए। प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों ने इसके बाद एक बैंक पर हमला किया और उसे लूटने का प्रयास किया। बैंक में उन्होंने चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि हमलावरों का संबंध टीटीपी से बताया जाता है।

चट्टान (27 जून) के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे ड्रोन हमलों पर चिंता प्रकट की है। इन हमलों में पांच बच्चों सहित 17 लोग मारे गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में दक्षिण एशिया की उप क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लैसी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। कुर्रम से पाकिस्तानी सांसद हामिद हुसैन ने पेशावर में एक पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना मासूम लोगों पर ड्रोन हमले कर रही है। इस क्षेत्र में पिछले एक महीने में 13 ड्रोन हमले किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना सीमा का उल्लंघन करके अफगानिस्तान के गांवों को भी अपना निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पाकिस्तान में कोई भी पख्तून सुरक्षित नहीं है।

पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगानों का निष्कासन

रोजनामा सहारा (1 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने जून महीने में दो लाख 30 हजार से अधिक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान की सीमा में धकेल दिया है। इस संगठन के प्रवक्ता अवंद अजीज आगा ने बताया कि 1-28 जून के बीच 2,33,941 लोगों को जबरन ईरान से अफगानिस्तान भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 21-28 जून के बीच 1,31,912 अफगान नागरिक ईरान से अफगानिस्तान लौट चुके हैं। अजीज आगा ने बताया कि ईरान सरकार जनवरी महीने से अब तक 6,91,049 अफगान नागरिकों को ईरान से अफगानिस्तान भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि ये अफगान नागरिक दशकों से ईरान में रह रहे थे।

औरंगाबाद टाइम्स (28 जून) के अनुसार इस्लाम कला सीमा के जरिए हर दिन लगभग 30 हजार अफगान नागरिक ईरान से अफगानिस्तान

लौट रहे हैं। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान ईरान के साथ दो प्रमुख सीमा क्रॉसिंग पॉइंट साझा करता है। इनमें से पहला अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित इस्लाम कला सीमा क्रॉसिंग है। जबकि दूसरा निमरोज प्रांत में पुल-ए-अब्रेसहम सीमा क्रॉसिंग है। ईरान सरकार इन दोनों रास्तों से अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेज रही है। उन्होंने कहा कि दशकों से पाकिस्तान और ईरान में लगभग 70 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग इन देशों में ही पैदा हुए थे। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि 40 लाख से अधिक अफगान नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये घुसपैठिए हैं। अब पाकिस्तानी सेना इन अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान में धकेल रही है।

अफगान सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था कि वह इन अफगान मूल के लोगों को जबरन अफगानिस्तान में धकेलने का सिलसिला बंद कर दे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अफगान सरकार के इस अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया। इन शरणार्थियों की वापसी के कारण अफगानिस्तान में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। इसी तरह से ईरान सरकार ने भी दावा किया है कि ईरान में 40 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं, जिन्हें जबरन वापस भेजा जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के बाद अफगान मूल के लोग अफगानिस्तान से ईरान और पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से अधिकांश लोग संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी के तौर पर पंजीकृत हैं, इसलिए उन्हें अफगानिस्तान में धकेलना गैर-कानूनी है।

सियासत (1 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने गुलाम खान सीमा को बंद कर दिया है।

रोजनामा सहारा (20 जून) के अनुसार अफगान सरकार के प्रवक्ता अब्दुल मुतालिब हक्कानी ने सरकारी रेडियो पर एक इंटरव्यू में बताया कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तीन लाख 10 हजार परिवार पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से स्वदेश लौट चुके हैं। इन परिवारों में 50 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने इनमें से अधिकांश लोगों को जबरन अफगानिस्तान भेजा है। हक्कानी ने कहा कि सरकार सीमित साधनों के बावजूद इन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अफगानिस्तान सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ■

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त गिरफ्तार

रोजनामा सहारा (25 जून) के अनुसार बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त केएम नूरुल हुदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुदा पर उनके कार्यकाल के दौरान चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले उत्तेजित भीड़ ने हुदा के निवास स्थान पर हमला किया और उनकी पिटाई की। भीड़ ने उनके मकान को लूट लिया और उनके परिवारजनों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार भीड़ ने नूरुल हुदा को पहले जूतों से पीटा और बाद में उन्हें जूतों की माला पहनाई। उन पर अंडे फेंके गए और उन्हें

अवामी लीग के दो वरिष्ठ नेताओं जहांगीर कबीर नानक और मिर्जा आजम ने शेख हसीना के खिलाफ गवाही दी है। ये दोनों नेता देश से फरार हैं और उन्होंने आयोग को अपनी गवाही इमेल के जरिए भेजी है।

भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। इसके बाद 77 वर्षीय नूरुल हुदा को हेलमेट पहनाकर अदालत में पेश किया गया ताकि उग्र भीड़ उन्हें गंभीर रूप से घायल न कर सके। अदालत ने उन्हें चार दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने नूरुल हुदा और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

अखबार-ए-मशरिक (27 जून) के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शेख हसीना के पुराने साथियों ने उनके खिलाफ गवाही दी है। इन गवाहियों में शेख हसीना पर आरोप लगाया गया है कि उनके इशारे पर पुलिस ने डेढ़ हजार से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग ने पत्रकारों को बताया कि

आयोग ने पुष्टि की है कि अब तक अवामी लीग के आठ वरिष्ठ नेता अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। इनमें से तीन नेता जेल में बंद हैं। उन्होंने पूछताछ के दौरान शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य नेताओं ने आयोग के सामने पेश होकर शेख हसीना के इशारे पर नरसंहार किए जाने की पुष्टि की है। राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एएलएम फजलुर रहमान ने संवाददाताओं को बताया कि अब तक 55 गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं। इनमें सेना के 35 अधिकारियों के अतिरिक्त गुप्तचर एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप में जो 30 लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी आयोग के सामने गवाही दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेश पर प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या की गई थी।

तुर्की इंडोनेशिया को लड़ाकू विमान निर्यात करेगा

इंकलाब (13 जून) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने घोषणा की है कि तुर्की अपने देश में निर्मित 48 केएएएन (कान) लड़ाकू विमान इंडोनेशिया को निर्यात करेगा। एर्दोगान ने कहा कि 48 कान लड़ाकू विमानों का निर्माण तुर्की में किया जाएगा और इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। बताया जाता है कि इन विमानों का मूल्य 10 अरब डॉलर है। पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का निर्माण तुर्की की सरकारी कंपनी टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री तुर्की के दौरे पर आए थे। इसके बाद दोनों

देशों के बीच हुई बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है।

एर्दोगान ने कहा कि इस समझौते के अनुसार इंडोनेशिया को इन लड़ाकू विमानों को बनाने की तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता हमारे घरेलू व राष्ट्रीय रक्षा उद्योग की प्रगति और उपलब्धियों को दर्शाता है। उन्होंने इस समझौते के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो की प्रशंसा की है। गौरतलब है कि तुर्की ने साल 2024 में आठ अरब डॉलर मूल्य के हथियार विदेशों को बेचे थे। इनमें से अधिकांश ड्रोन हैं। इन ड्रोनों को स्वयं तुर्की ने विकसित किया है।

अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (20 जून) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने देश के सभी स्कूलों व मदरसों के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला इस्लामिक शरिया के अनुसार किया गया है। अफगानिस्तान के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश देशभर के सभी स्कूलों, कॉलेजों व मदरसों के विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इस आदेश में कहा गया है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से छात्रों में अनैतिकता की भावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना इस्लाम के अनुरूप नहीं है। 22 वर्षीय अध्यापक सईद अहमद ने कहा कि सरकार का यह एक अच्छा फैसला है। अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने स्कूल के सभी छात्रों की तलाशी लेने का फैसला किया है और जो छात्र स्मार्टफोन के साथ पकड़ा जाएगा उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा।

एक मदरसे के अध्यापक मोहम्मद इरफान ने कहा कि हम पहले ही मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तालिबान सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवित प्राणी का चित्र नहीं बनाएगा और न ही इसे मीडिया में प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि चित्र बनाना या उसे प्रसारित करना शरिया के खिलाफ है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने देश के छात्रों से अपील की है कि वे स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करें।

पश्चिम एशिया

इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम

इंकलाब (25 जून) के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला घमासान युद्ध खत्म हो गया है। बताया जाता है कि युद्धविराम की घोषणा इसलिए की गई, क्योंकि विश्वयुद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद पड़ा था। ईरान ने कतर समेत पश्चिम एशिया के अन्य देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करके इस युद्ध को विश्वयुद्ध का रूप देने का मन बना लिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया। अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प की इस घोषणा की अमेरिकी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल को इस युद्धविराम की जानकारी तब दी जब वे सभी पक्षों से बातचीत करके इस योजना को अंतिम रूप दे चुके थे। अमेरिका ने कतर को मध्यस्थ बनाकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान की सरकार से बातचीत की थी।

हद तो यह है कि ट्रम्प की इस घोषणा के बाद भी दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। इजरायल पर ईरानी मिसाइल दागे जाते रहे। इसके जवाब में इजरायल ने भी ईरान के एक रडार स्टेशन को अपना निशाना बनाया। इसके बाद ट्रम्प भड़क उठे और उन्हें युद्धविराम समझौता टूटने की संभावना नजर आने लगी। ईरान ने युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल के कई नगरों पर मिसाइल दागे। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया। उन्होंने ट्रम्प को टेलीफोन पर बताया कि ईरान ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है, इसलिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस पर ईरान ने सफाई दी कि उसने युद्धविराम का उल्लंघन नहीं किया है।

ट्रम्प ने ट्वीट करके इजरायल को चेतावनी दी कि वह ईरान पर बम न बरसाए। उन्होंने इजरायल को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि ईरान अब दोबारा परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी गई है। अब वह कभी परमाणु शक्ति नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर, ईरान की परमाणु एजेंसी ने घोषणा की कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने

कहा कि उनकी योजना यह है कि ईरान के परमाणु ऊर्जा विकास में कोई रूकावट न आए। ईरानी संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) से अपना नाता तोड़ लिया है। ईरान ने घोषणा की है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के पर्यवेक्षकों को अपने परमाणु संस्थानों की जांच करने की अनुमति नहीं देगा।

विश्व के विभिन्न देशों ने इस युद्धविराम का स्वागत करते हुए कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों देशों को बातचीत के जरिए आपसी विवाद को सुलझाना चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (28 जून) ने अपने संपादकीय में ईरान को उसकी जीत पर बधाई दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि शुरुआत में अमेरिका के इशारे पर जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और उसके शीर्ष सैन्य कमांडरों व वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी तो दुनिया ने यह महसूस किया था कि अब ईरान को हथियार डालने पड़ेंगे, लेकिन उसने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करके बाजी ही पलट दी। जब ईरानी हमले से इजरायल में तबाही मच गई और उसका आयरन डोम तबाह हो गया तब नेतन्याहू को यह समझ में आया कि उन्होंने ईरान को नरम चारा समझकर बड़ी भारी गलती कर दी है। इसके बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से गुहार लगाई। इजरायली नागरिकों ने तेल अवीव की सड़कों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बड़े-बड़े होर्डिंग लगा दिए। इन पर लिखा था कि 'राष्ट्रपति ट्रम्प अब शांति करवाइए'। शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया था कि इस युद्ध से अमेरिका का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया। जब इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाना शुरू किया तो अमेरिका को अपनी औकात का पता चल गया और उसने कतर पर दबाव डालकर इजरायल और ईरान में समझौता करवा दिया।

उर्दू टाइम्स (29 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल-ईरान युद्ध ने ईरान के कद को इतना बड़ा कर दिया है कि अब खुद अमेरिका ईरान से दोस्ती करना चाहता है। अमेरिका ने ईरान के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ढ़ाई लाख करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा कर दी है। इसके अतिरिक्त उसने ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को भी नरम करने का संकेत दिया है। ट्रम्प को यह लगता है कि ईरान उनके नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के स्वप्न को कहीं मिट्टी में न मिला दे।

हिंदुस्तान (28 जून) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि विश्व के अधिकांश मुस्लिम देश ईरान पर आए संकट के दौरान मूकदर्शक बने रहे, लेकिन ईरान ने अपनी हिम्मत से विश्व के इतिहास को बदल दिया है। अमेरिका जैसे वैश्विक शक्ति को ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े हैं।

उर्दू टाइम्स (25 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सच्चाई तो यह है कि यह युद्धविराम नहीं, बल्कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए अमेरिका ने यह ड्रामा किया है। दुनिया को यह उम्मीद थी कि इजरायल द्वारा ईरान के

गिड़गिड़ाना पड़ा। समाचारपत्र ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि अरब जगत के मुस्लिम देश अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों को दुश्मन समझते हैं और उनके शासक अमेरिका की छत्रछाया में रहकर खुद को सुरक्षित समझते हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक और साइप्रस आदि देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। उसकी यह कोशिश है कि रूस और चीन इन मुस्लिम देशों में अपना वर्चस्व न बढ़ा पाएं, लेकिन हालिया घटनाक्रम से इस क्षेत्र में अमेरिकी वजूद के लिए खतरा पैदा हो गया है।

शीर्ष सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या के बाद ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन उसने न सिर्फ इस दबाव का मुकाबला किया, बल्कि उसने विभिन्न देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करके अमेरिका की नींद हराम कर दी। इसके बाद युद्धविराम करवाने के लिए अमेरिका को कतर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि ईमान की मजबूती मोमिन (मुसलमान) का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के हमले से डरकर अचानक अपना रंग बदल लिया। उन्हें यह महसूस हुआ कि मध्य पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों पर जो 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं उनका ईरान सफाया कर देगा। यही कारण है कि अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका को विश्व शांति की याद आ गई और उसे ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा।

कौमी तंजीम (26 जून) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि हाल के युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के मुंह पर जो स्याही पोती है उससे अमेरिका की इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। अजीब बात है कि अमेरिका ने ईरान को 15 दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन जब ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया तो उसकी हालत खराब हो गई और उसे युद्ध विराम के लिए कतर के सामने

इंकलाब (25 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका को अपना रंग क्यों बदलना पड़ा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरानी हमलों से इजरायल में जो भारी तबाही हुई उससे नेतन्याहू को अपनी गद्दी खतरे में नजर आने लगी। यही कारण है कि नेतन्याहू को ट्रम्प से अनुरोध करना पड़ा कि वे उनकी मदद करें और इस युद्ध में शामिल हो जाएं। अमेरिका में यहूदी लॉबी काफी ताकतवर है। शायद उसके दबाव में आकर ट्रम्प को ईरान पर हमला करने का फैसला करना पड़ा। बाद में ट्रम्प ने यह महसूस किया कि युद्ध का फैलना अमेरिका के हित में नहीं होगा। जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया तो ट्रम्प को विश्व में अमेरिकी वर्चस्व खतरे में नजर आने लगा, इसलिए उन्होंने शांतिप्रिय होने की नौटंकी शुरू कर दी और कतर का सहारा लिया। कतर ने ईरान को समझाया कि फिलहाल इजरायल और अमेरिका को जितना सबक सिखाया गया है वह काफी है।

कि किसी भी मुस्लिम देश को अपनी इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने अमेरिका जैसे वैश्विक शक्ति के घमंड को तोड़कर रख दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (26 जून) ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि ईरान ने इस्लाम की प्रतिष्ठा का शानदार उदाहरण पेश किया है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान अपनी जीत तक युद्ध जारी रखने का हौसला रखता है। ईरान ने इस्लाम की लाज रखी है और इजरायल व अमेरिका के घमंड को तोड़कर रख दिया है।

रोजनामा सहारा (27 जून) ने अपने संपादकीय में अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने के लिए ईरान को बधाई दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरान ने यह साबित कर दिया है

ईरान में जासूसों की तलाश में राष्ट्रव्यापी अभियान

उर्दू टाइम्स (30 जून) के अनुसार ईरान ने अपने देश में छिपे हुए जासूसों को ढूंढने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। अब तक एक हजार से अधिक लोग जासूसी और राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 50 से अधिक जासूसों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जा चुका है। यहूदियों के अतिरिक्त अफगानिस्तान और अन्य देशों के नागरिकों को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी 'फार्स' के अनुसार देश में 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारकर 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ठिकानों से भारी मात्रा में ड्रोन और मिसाइल बरामद हुए हैं। इन हथियारों को चोरी छिपे विदेशों से लाया गया था। इजरायली खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के एजेंटों ने इन ड्रोनों और मिसाइलों के जरिए ईरान के विभिन्न नगरों में कहर ढाया था। सबसे ज्यादा विदेशी एजेंट कोम, मशहद, इस्फहान, जाहेदान और तेहरान में पकड़े गए हैं। इनमें से कई जासूस मुस्लिम हुलिया बनाकर ईरान के धार्मिक संस्थानों में इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करने का ढोंग कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग पिछले कई सालों से ईरान में डेरा डाले हुए थे और उन्होंने स्थानीय महिलाओं से निकाह करके अपना परिवार बसा रखा था। बताया जाता है कि इन जासूसों के जरिए मिली गुप्त जानकारी के आधार पर ही इजरायल ने ईरान के शीर्ष कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या की थी।

ईरानी मीडिया में एक फ्रांसीसी महिला की काफी चर्चा है। इस फ्रांसीसी महिला ने सात साल

पहले ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था और उसने इस्लाम का अध्ययन करने की आड़ में ईरान में डेरा डाल रखा था। इस्लामी जानकार के रूप में उसकी घुसपैठ ईरान के उच्च वर्ग में थी और उसका संपर्क ईरान के शीर्ष कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों से भी था। ईरान पर इजरायली हमले के बाद यह महिला जासूस रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। ईरान की गुप्तचर एजेंसियां इस महिला का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं।

सहाफत (19 जून) के अनुसार ईरानी गुप्तचर विभाग ने तेहरान में मोसाद के जासूसों और ड्रोन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस छापे में ड्रोनों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया है। बताया जाता है कि इन ड्रोनों के पूर्जे गुप्त तरीके से इजरायल से ईरान लाए गए थे। यहां पर इनके पूर्जों को जोड़कर हमला करने वाले ड्रोन बनाए गए। इस संबंध में मोसाद के 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य समाचार के अनुसार मशहद में दो अन्य फैक्ट्रियों पर भी छापे मारे गए हैं। यहां से 32 ड्रोन बरामद हुए हैं। इस अड्डे से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। इन्हें मोसाद के एजेंटों ने विदेशों से लाया था। इनमें 26 मिसाइल भी शामिल हैं। गुप्तचर विभाग ने इस संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो लोगों ने जहर की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। बाकी गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। ईरानी सेना ने दो वीडियो भी जारी किए हैं। इनमें मोसाद के जासूसों को ईरानी भूमि पर बम और ड्रोन लॉन्चर लगाते हुए दिखाया गया है।

उर्दू टाइम्स (1 जुलाई) के अनुसार ईरान के 99 वर्षीय शीर्ष शिया विद्वान अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ धार्मिक फतवा जारी किया है। इन दोनों को अल्लाह और इस्लाम का दुश्मन करार दिया गया है। शिराजी ने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इनसे बदला लें। इस फतवे में कहा गया है कि दुनिया के हर मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह ट्रम्प और नेतन्याहू के सिर को उनके धड़ से अलग कर दे। इस फतवे में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस्लाम के लिए खतरा बनेगा उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अल्लाह व इस्लाम की तौहीन है और उसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला माना जाएगा। अगर कोई मुस्लिम देश इन दोनों नेताओं का समर्थन करता है तो वह भी इस्लाम का दुश्मन होगा।

कौमी तंजीम (29 जून) के अनुसार अब यह आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि इजरायल ने ईरान के 30 से अधिक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारियों की परिवार सहित हत्या की थी। इसके अतिरिक्त इजरायली हमले में 11 वरिष्ठ ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भी परिवार सहित मारे गए थे। इजरायल ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने इस युद्ध के दौरान ईरान के विभिन्न नगरों को 900 से अधिक बार अपना निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है।

अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 12 से अधिक परमाणु केंद्रों को अपना निशाना बनाया है। जबकि ईरान का दावा है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु संयंत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

उर्दू टाइम्स (26 जून) के अनुसार ईरान के मंत्री मोहम्मद रजा जफरघंडी ने पुष्टि की है कि ईरान पर इजरायली हमलों में 606 लोग मारे गए हैं और लगभग 5,332 लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर, इजरायल ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में उसके 28 लोग मारे गए हैं और 3,238 लोग घायल हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (21 जून) के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के कारण इजरायल की आर्थिक हालत बदतर हो गई है। इजरायल के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल रीम अमीनाच ने बताया कि इजरायल इस युद्ध में हर दिन 725 मिलियन डॉलर (लगभग 6300 करोड़ रुपये) खर्च कर रहा है। ■

ईरान द्वारा विश्व के मुस्लिम देशों से इस्लामिक सेना बनाने की अपील

हिंदुस्तान (22 जून) के अनुसार ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसेन रेजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक और सीरिया से अपील की है कि वे पश्चिम एशिया में इजरायल और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त इस्लामिक सेना का गठन करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम की रक्षा करने के लिए इन सभी देशों को मिलकर एक इस्लामिक सेना बनानी चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि मुसलमानों ने स्वयं को शिया, सुन्नी और अरब जैसे फिरकों में बांट लिया है। इसके कारण इस्लाम कमजोर हो गया है। उम्मत-ए-इस्लामिया की ताकत एकता में है, इसलिए हमें एकजुट होकर इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि नाटो गठबंधन के तर्ज पर विश्व के इस्लामिक देशों को भी एक गठबंधन बनाना चाहिए ताकि उसकी अपनी एक सेना हो और उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए सभी मुस्लिम देश आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि मुस्लिम देशों के पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार हों ताकि वे दुनिया की मुस्लिम दुश्मन ताकतों का मुकाबला कर सकें।

मुंसिफ (21 जून) ने कहा है कि ईरान-इजरायल का युद्ध वास्तव में पश्चिम और पूर्व का युद्ध है और इसमें इस्लाम का अस्तित्व खतरे में है। अजीब बात है कि मुस्लिम देश सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि दुनियाभर के मुस्लिम देशों को एकजुट होकर एक संयुक्त रक्षा व्यवस्था बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। बैतुल मुकद्दस (अल-अक्सा मस्जिद) से लेकर तेहरान और बगदाद से लेकर बेरूत तक सभी मुस्लिम देश इस्लाम दुश्मन ताकतों के निशाने पर होंगे और वे पूरे इस्लामिक जगत को तबाह कर देंगे। किसी भी मुस्लिम देश को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई ईसाई या यहूदी देश

अमेरिका के खतरनाक मंसूबों की जानकारी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अपने परमाणु संयंत्रों को अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। ईरान के गुप्तचर तंत्र की सतर्कता के कारण इजरायल और अमेरिका की योजना विफल हो गई। ईरान की हाल की कामयाबी के बाद दुनियाभर के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) भी सक्रिय हो गया है। इससे यह उम्मीद बंध गई है कि अब मुस्लिम देश अमेरिका के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर जिंदा रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय दुनियाभर में 57 इस्लामिक देश हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं तो वे दुनिया में बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं।

उसकी रक्षा करेगा। अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश अमेरिका व इजरायल के दबाव से निकलें और दुनिया में संयुक्त ब्लॉक स्थापित करें। अरब जगत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि उम्मत की तबाही में खामोशी भी जुर्म है और इस्लाम के दुश्मनों का समर्थन करना खुली गद्दारी है। अगर कोई मुस्लिम देश चंद दिनों की ऐश के लिए पीड़ित मुसलमानों के खून का सौदा करता है तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। कुरान और रसूल ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनियाभर के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए ताकि इस्लाम की रक्षा की जा सके।

उर्दू टाइम्स (28 जून) ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल को तो धूल चटा दी है, लेकिन अन्य मुस्लिम देशों के रवैये पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ईरान न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि विश्वभर में एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। इजरायल ने यह सोचा था कि मोसाद के सहारे वह ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा, क्योंकि मोसाद के जासूस पिछले दो साल से ईरान में मुसलमान बनकर रह रहे थे। उनका घुसपैठ ईरान के शासनतंत्र में भी हो गया था। उन्हीं की सूचनाओं के आधार पर इजरायल ने ईरान पर हमला करके उसे तबाह करने का मंसूबा बनाया था। हालांकि, ईरान की गुप्तचर एजेंसियों को इजरायल व

हिंदुस्तान (30 जून) के अनुसार पिछले 100 सालों से अमेरिका ने दुनियाभर को अपना गुलाम बनाकर रखा है। अब उसे पहली बार ईरान से गंभीर चुनौती मिली है। ईरान इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनकर उभरा है। समाचारपत्र ने आलोचना की है कि पश्चिम एशिया के अन्य इस्लामिक देश अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के इशारे पर नाच रहे हैं। इससे इस्लामिक एकता की परिकल्पना मिट्टी में मिल गई है। मुस्लिम देश गाजा में अपने ही उम्मत के लोगों पर हो रहे अत्याचार को खामोशी से देख रहे हैं। क्या ये देश रसूल अल्लाह के अनुयायी होने का दावा कर सकते हैं? रसूल अल्लाह ने कहा था कि अगर एक मुसलमान को कष्ट होता है तो दुनियाभर के मुसलमानों को उसका अहसास होना चाहिए।

चट्टान (23 जून) के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम जगत जागरूक और एकजुट नहीं हुआ तो दुनिया से इस्लाम का नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने निंदा की कि

मुस्लिम देश रसूल और कुरान के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ईरान पर ईसाई और यहूदी देशों के हमलों को खामोशी से देख रहे हैं।

अखबार-ए-मशरिक (19 जून) ने कहा है कि अरब देशों के शासकों ने अमेरिका के हाथों अपने जमीर का सौदा कर लिया है। यही कारण है कि जब इजरायल गाजा और ईरान पर हमला करता है तो वे मूकदर्शक बने रहते हैं। अरब जगत के इन बेजमीर शासकों को यह याद रखना चाहिए कि अगर उनकी यही हरकत जारी रही तो उनके नाम इस्लाम के गद्दारों की सूची में लिखे जाएंगे। अल्लाह की अदालत में वे दोषी होंगे और इतिहास उनके रवैये को कभी माफ नहीं करेगा।

इजरायल और कतर के बीच 100 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता

इंकलाब (11 जून) के अनुसार इजरायल की रक्षा कंपनियों ने कतर को 100 मिलियन डॉलर की सैन्य सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी मंजूरी दे दी है। इजरायल पिछले कई सालों से कतर को सैन्य सामग्री सप्लाई कर रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। खास बात यह है कि ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हमास का मुख्यालय भी कतर में ही स्थित है। कतर पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह न केवल हमास के नेताओं को अपने देश में शरण देता है, बल्कि उन्हें आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराता है।

उल्लेखनीय है कि इजरायल ने कतर को जो सैन्य सामग्री सप्लाई करने का फैसला किया है उनमें हथियार, गोला बारूद, साइबर तकनीक और अन्य आधुनिकतम हथियार शामिल हैं। इजरायली रक्षा कंपनी 'एल्बिट' ने कतर के साथ 100 मिलियन डॉलर का रक्षा सौदा किया है। वहीं एक अन्य रक्षा कंपनी 'राफेल' ने भी कतर के साथ 10 मिलियन डॉलर से अधिक का समझौता किया है। जबकि 'इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' का कतर से पुराना रिश्ता रहा है। इस कंपनी के प्रमुख 20 से अधिक बार दोहा का दौरा कर चुके हैं। वहीं, कतर का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कार्यालय का दौरा कर चुका है। इजरायली अखबार 'टाइम्स ऑफ इजरायल' में इस सौदे के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

नाइजीरिया में आतंकवादियों द्वारा 100 लोगों की हत्या

सहाफत (18 जून) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-शबाब के 200 से अधिक सशस्त्र आतंकवादियों ने नाइजीरिया के बेनुए राज्य में स्थित एक गांव येलेवाटा पर हमला करके 100 लोगों की हत्या कर दी है। बताया जाता है कि अल-शबाब के आतंकवादी गुप्त रूप

से इस गांव में रह रहे थे। गांव के एक निवासी ने उनके बारे में सरकारी सेना को जानकारी दी थी। इसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। जब गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागे तो आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू ने घटनास्थल का दौरा किया और सेना को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाए। राष्ट्रपति के साथ घटनास्थल पर गए संवाददाताओं ने बताया कि पूरा गांव जला हुआ था और चारों तरफ बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की लाशें बिखरी हुई थीं।

राष्ट्रपति ने बताया कि हमलावरों का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-शबाब से है। अल-शबाब का संबंध कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से है। उन्होंने बताया कि इन इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने पिछले पांच साल से नाइजीरिया में उत्पात मचा रखा है। इस अवधि में वे 12 हजार से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं। सरकारी सेना ने नाइजीरिया के कई हिस्सों को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया है। इस अभियान में सात हजार सशस्त्र आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

सीरिया के गिरजाघर में हुए धमाके में 19 लोगों की मौत

रोजनामा सहारा (23 जून) के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित मार एलियास चर्च में घुसकर गोलीबारी की और फिर स्वयं को विस्फोट से उड़ा लिया। इस धमाके में कम-से-कम 19 लोग मारे गए। जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। जब यह धमाका हुआ तब गिरजाघर में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये लोग यहां पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सीरिया सरकार ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की है और कहा है कि हमलावर इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा था। इस हमले का लक्ष्य गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे ईसाइयों को निशाना बनाना था। सेना ने इस पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके से गिरजाघर को भारी नुकसान पहुंचा है।

संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है और सीरिया सरकार से अनुरोध किया है कि वह अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में पहले ईसाई जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां की सरकार का रूख ईसाई विरोधी रहा है। सीरिया में उत्पीड़न से बचने के लिए ईसाइयों को भारी संख्या में अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीरिया में जो संगठन सत्तारूढ़ हुआ है उसका रूख भी ईसाई विरोधी है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

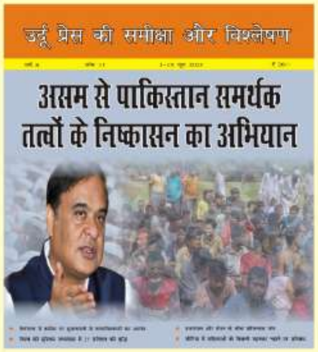

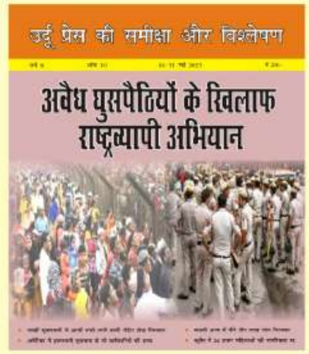

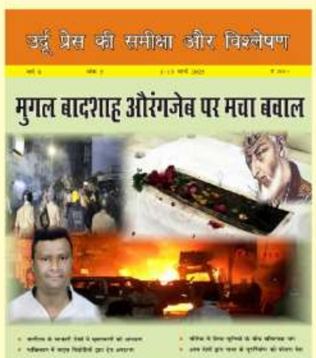

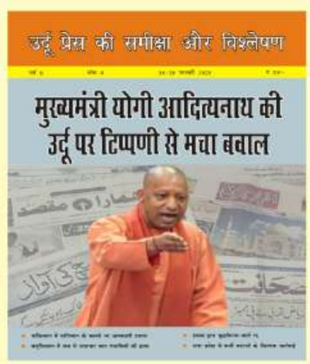

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in